

नहीं की गयी। वस्तु क्रॉस रिड 16/8/24
को पेश हो। $\alpha\mu$

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

16/8/24

पत्तावली पेश हुई। वकील चादीगण शामिल
कादफर पर क्विस चादीगण वकील पर मनन
किया गया। पत्तावली व तहसीलदार बांदीकुई
से साथ कुरैजात का कवलोकन किया गया।
क्विस चादीगण वकील पर मनन करते एवं
पत्तावली व साथ कुरैजात के कवलोकन के
आधार पर चादीगण काउंटा का लकडमा एवं
स्थानी निपेयारा स्वीकार प्रोग्राम होने से स्वीकार
किया जा रहा है। विस्तृत निर्णय मुद्रक से लिया
जाकर शामिल पत्तावली किया गया। क्रॉस
डिडी जारी होकर पालना हेतु तहसीलदार
बांदीकुई को तहरीर जारी हो। पत्तावली
संख्यासुमार होकर काउंटा लकडमा शामिल दफ्तर
हो। $\alpha\mu$

16/8/24
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

न्यायालय उपजिला कलक्टर एवं उपजिला मजिस्ट्रेट बाँदीकुई

प्रकरण संख्या 295/2022

प्रकरण दायर दिनांक 28.09.2022

प्रकरण निर्णय दिनांक 16.08.2024

- उनवान- 1. धप्पो देवी पत्नी बुद्धा जाति बैरवा निवासी आशापुरा, तह. बाँदीकुई जिला दौसा
2. चन्द्रकला पुत्री बुद्धा पत्नी गोपाल } जाति बैरवा निवासी सुमरया ढाणी बीन्दरवाडा
3. कृष्णा पुत्री बुद्धा पत्नी कैलाश } तह. सिकराय जिला दौसा
4. दर्शना पुत्री बुद्धा पत्नी रामकरण, जाति बैरवा निवासी बैरवा ढाणी मीतरवाडी, तहसील
बाँदीकुई, जिला दौसा।
5. कविता पुत्री बुद्धा पत्नी लोकेश, जाति बैरवा निवासी राणोल्या का बास, नारायणपुरा,
बाँदीकुई, तहसील बसवा, जिला दौसा

बनाम

1. अमृतलाल पुत्र रामसहाय
2. आनन्दस्वरूप पुत्र गौरीशंकर
3. इन्दर पुत्र देवा
4. ओमप्रकाश पुत्र बालूराम
5. कमला पत्नी बाबूलाल
6. कमला पत्नी रामजीलाल
7. कमला देवी पुत्री आशा
8. गणेश पुत्र सोला
9. गणेशी देवी पत्नी मूल्या
10. गुलाब पुत्री खैरया
11. गीता पुत्री खैरया
12. जगदीशप्रसाद पुत्र गौरीशंकर
13. जगदीशप्रसाद पुत्र आशा
14. जमना देवी पत्नी बिशना
15. जयबाई पुत्री धन्नाराम
16. तुलसी देवी पुत्री आशा
17. तुलसी देवी पत्नी बिहारीलाल
18. देवेन्द्र पुत्र बाबूलाल
19. निर्मला पुत्री गौरीशंकर
20. निर्मला पुत्री बालूराम
21. प्यारेलाल पुत्र पाँच्या
22. प्रभुदयाल पुत्र खैरया
23. प्रभाता पुत्र देवा
24. प्रेमचन्द पुत्र आशा
25. प्रेमप्रकाश पुत्र बालूराम
26. बिहारीलाल पुत्र पाँच्या
27. भीवा पुत्र मंगल्या
28. भौरीलाल पुत्र आशा
29. मगनी पुत्री मूल्या

30. मन्जू पुत्री बालूराम
 31. मन्जू देवी पुत्री रामसहाय
 32. मुन्नी पुत्री मूल्या
 33. महेन्द्रसिंह पुत्र रामजीलाल
 34. मीरा देवी पुत्री रामसहाय
 35. मोहनलाल पुत्र मूल्या
 36. रुक्मणी पत्नी गौरीशंकर
 37. रमेशचन्द्र पुत्र गौरीशंकर
 38. राजकुमार पुत्र रघुनाथ
 39. रामजीलाल पुत्र रामसहाय
 40. रामप्यारी पुत्री मूल्या
 41. रामबाई पुत्री मूल्या
 42. रामबाई पुत्री धन्नाराम
 43. सुखबाई पुत्री धन्नाराम
 44. सुखबाई पुत्री मूल्या
 45. सत्यप्रकाश पुत्र बालूराम
 46. सत्यप्रकाश पुत्र खैरया
 47. सुनील कुमार पुत्र रामजीलाल
 48. सावित्री पुत्री देवा
 49. सीताराम पुत्र रामलाल
 50. सोनबाई पुत्री धन्नाराम
 51. हेमराज पुत्र बाबूलाल
 52. हरबाई पुत्री धन्नाराम
 53. हंसो देवी पुत्र रामलाल
 54. हीरालाल पुत्र कजोड
 55. हीरालाल पुत्र धन्नाराम
- समस्त जाति बैरवा निवासी आशापुरा, श्यालावास खुर्द तह. बाँदीकुई जिला दौसा
56. तहसीलदार बाँदीकुई जरिये लैण्ड होल्डर बाँदीकुई तह. बाँदीकुई जिला दौसा
 57. उपपंजीयन अधिकारी बाँदीकुई तहसील बाँदीकुई जिला दौसा

दावा तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा
मुकदमा नं.-295/2022 सन्-2022

वादीगण द्वारा दावा तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा विरुद्ध प्रतिवादीगण जय्ये वकील श्री श्याम
नन्दर शर्मा के इस आशय से पेश किया है कि भूमि ग्राम आशापुरा तहसील बाँदीकुई जिला दौसा के
वाता संख्या नया 22 व पुराना 20 के खसरा नं. 1 रकबा 0.08 हैक्टे., खसरा नं. 10 रकबा 0.38 हैक्टे.,
खसरा नं. 11 रकबा 0.39 हैक्टे., खसरा नं. 13 रकबा 0.30 हैक्टे., खसरा नं. 14 रकबा 0.10 हैक्टे.,
खसरा नं. 15 रकबा 0.28 हैक्टे., खसरा नं. 16 रकबा 0.34 हैक्टे., खसरा नं. 17 रकबा 0.01 हैक्टे., खसरा
नं. 18 रकबा 0.01 हैक्टे., खसरा नं. 19 रकबा 0.01 हैक्टे., खसरा नं. 20 रकबा 0.05 हैक्टे., खसरा नं. 21
रकबा 0.29 हैक्टे., खसरा नं. 23 रकबा 0.38 हैक्टे., खसरा नं. 24 रकबा 0.27 हैक्टे., खसरा नं. 3 रकबा 0.
2 हैक्टे., खसरा नं. 35 रकबा 0.20 हैक्टे., खसरा नं. 5 रकबा 0.11 हैक्टे., खसरा नं. 6 रकबा 0.19
हैक्टे., खसरा नं. 7 रकबा 0.26 हैक्टे., खसरा नं. 8 रकबा 0.14 हैक्टे., खसरा नं. 9 रकबा 0.11 हैक्टे.
ल किता 21 कुल रकबा 3.92 हैक्टेयर स्थित है जो कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की सहखातेदारी
भूमि है। भूमि मुतदाविया में वादीगण प्रत्येक का हिस्सा 1/80, जमाबंदी संवत् 2075-78 में दर्ज है।
स्त भूमि मुतदाविया का विधिवत तकास्मा नहीं हुआ है। प्रतिवादीगण उक्त भूमि मुतदाविया का बिना

उपखण्ड अधिकारी


सरस नरस के अनुसार बिना तकास्मा हुये नवनिर्माण करने पर आमादा है एवं वादीगण के हिस्से की भूमि पर वादीगण को बेदखल कर अन्य दीगर व्यक्तियों को बेचान करने पर आमादा है। जब वादीगण ने प्रतिवादीगण से उक्त भूमि मुतदाविया का विधिवत सरस-नरस के अनुसार तकास्मा कराने की कही तो प्रतिवादीगण साफ इन्कार हो गये और वादीगण से कहा कि भूमि मुतदाविया को दीगर व्यक्तियों को बेचान कर उक्त भूमि मुतदाविया से तुमको बेदखल करके रहेगे। पक्षकारान में सरकारी सहायता व अन्य भूमि संबंधी लाभ उठाने के लिए आये दिन विवाद उत्पन्न होते रहते हैं, इसलिए वादीगण ने प्रतिवादीगण से उक्त भूमि मुतदाविया का तकास्मा कराने की कही, तो प्रतिवादीगण साफ इन्कार हो गये और वादीगण को एलानियां धमकी दी कि हम उक्त भूमि का तकास्मा नहीं होने देंगे व उक्त भूमि को दीगर व्यक्तियों को बेच कर दीगर व्यक्तियों का अवैध कब्जा कराकर तुमको उक्त भूमि से बेदखल करके रहेगे। जब तक भूमि मुतदाविया का सरस-नरस के अनुसार तकास्मा नहीं हो जाता, तब तक पक्षकारान में आये दिन विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। उक्त भूमि मुतदाविया पर वादीगण अपने हिस्से की जमीन पर काबिज काशत है। लेकिन प्रतिवादीगण आये दिन वादीगण के कब्जे, काशत की भूमि में मजाहमत पैदा करते रहते हैं एवं उक्त भूमि मुतदाविया को अन्य दीगर व्यक्तियों को बेचान कर उक्त भूमि मुतदाविया से वादीगण को बेदखल करने पर आमादा है। जब वादीगण ने प्रतिवादीगण से उक्त भूमि मुतदाविया का सरस-नरस के अनुसार विधिवत तकास्मा कराने की कही तो प्रतिवादीगण साफ इन्कार हो गये और वादीगण को एलानिया धमकी दी कि हम उक्त भूमि मुतदाविया को दीगर व्यक्तियों को रहन, बय कर व वादीगण के हिस्से की भूमि में अवैध कब्जा कर निर्माण कर वादीगण को उक्त भूमि से बेदखल करके रहेगे। दिनांक 06.09.2022 को प्रतिवादीगण, वादीगण के हिस्से की कब्जे-काशत की भूमि पर दीगर लोगो को लेकर आये व बेचान करने की बात करने लगे, जब वादीगण ने मना किया तो वादीगण को एलानियां धमकी दी कि तुमको तुम्हारे हिस्से की भूमि से बेदखल कर व उक्त भूमि से तुम्हारी खातेदारी हटवाकर दीगर व्यक्तियों का जबरिया कब्जा कराके रहेगे। अगर प्रतिवादीगण अपने मकसद में कामयाब हो गये तो वादीगण को अपूरणीय क्षति कारित होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नहीं हो सकेगी तथा पक्षकारान में गैर जरूरी किस्म के मुकदमात दरमियां फरीकेन चल पडेगे, जिससे बाय से बर्बादी होगी। ऐसी सूरत में वादीगण को वाद पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद वादीगण बरखिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्की फरमाया जावे कि भूमि ग्राम आशापुरा तहसील बांदीकुई जिला दौसा के खाता संख्या नया 22 व पुराना 20 के खसरा नं. 1 रकबा 0.08 हैक्टे., खसरा नं. 10 रकबा 0.38 हैक्टे., खसरा नं. 11 रकबा 0.39 हैक्टे., खसरा नं. 13 रकबा 0.30 हैक्टे., खसरा नं. 14 रकबा 0.10 हैक्टे., खसरा नं. 15 रकबा 0.28 हैक्टे., खसरा नं. 16 रकबा 0.34 हैक्टे., खसरा नं. 17 रकबा 0.01 हैक्टे., खसरा नं. 18 रकबा 0.01 हैक्टे., खसरा नं. 19 रकबा 0.01 हैक्टे., खसरा नं. 20 रकबा 0.05 हैक्टे., खसरा नं. 21 रकबा 0.29 हैक्टे., खसरा नं. 23 रकबा 0.38 हैक्टे., खसरा नं. 24 रकबा 0.27 हैक्टे., खसरा नं. 3 रकबा 0.02 हैक्टे., खसरा नं. 35 रकबा 0.20 हैक्टे., खसरा नं. 5 रकबा 0.11 हैक्टे., खसरा नं. 6 रकबा 0.19 हैक्टे., खसरा नं. 7 रकबा 0.26 हैक्टे., खसरा नं. 8 रकबा 0.14 हैक्टे., खसरा नं. 9 रकबा 0.11 हैक्टे. कुल किता 21 कुल रकबा 3.92 हैक्टेयर भूमि का वादीगण के हिस्से अनुसार विधिवत सरस-नरस के अनुसार रास्ते का पान रखते हुए तकास्मा किया जाकर उक्त भूमि मुतदाविया में वादीगण का अलग खाता व अलग लग पासबुक जारी की जावे। तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से इस अमर से पाबंद फरमाया जावे कि भूमि ग्राम आशापुरा तहसील बांदीकुई जिला दौसा के खाता संख्या नया 22 व पुराना 20 के खसरा नं. 1 रकबा 0.08 हैक्टे., खसरा नं. 10 रकबा 0.38 हैक्टे., खसरा नं. 11 रकबा 0.39 हैक्टे., खसरा नं. 13 रकबा 0.30 हैक्टे., खसरा नं. 14 रकबा 0.10 हैक्टे., खसरा नं. 15 रकबा 0.28 हैक्टे., खसरा नं. 16 रकबा 0.34 हैक्टे., खसरा नं. 17 रकबा 0.01 हैक्टे., खसरा नं. 18 रकबा 0.01 हैक्टे., खसरा नं. 19 रकबा 0.01 हैक्टे., खसरा नं. 20 रकबा 0.05 हैक्टे., खसरा नं. 21 रकबा 0.29 हैक्टे., खसरा नं. 23 रकबा 0.38 हैक्टे., खसरा नं. 24 रकबा 0.27 हैक्टे., खसरा नं. 3 रकबा 0.02 हैक्टे., खसरा नं. 35 रकबा 0.20 हैक्टे., खसरा नं. 5 रकबा 0.11 हैक्टे., खसरा नं. 6 रकबा 0.19 हैक्टे., खसरा नं. 7 रकबा 0.26 हैक्टे.,

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

खसरा नं. 8 रकबा 0.14 हैक्टे., खसरा नं. 9 रकबा 0.11 हैक्टे. कुल किता 21 कुल रकबा 3.92 हैक्टेयर भूमि में जब तक विधिवत सरस-नरस के अनुसार तकासमा नहीं हो पाता, तब तक वादीगण के हिस्से की कब्जे, काश्त की भूमि में किसी प्रकार की मजाहमत व व्यवधान पैदा करने से व वादीगण को जबरन भूमि मुतदाविया से बेदखल करने एवं उक्त भूमि मुतदाविया में अवैध निर्माण करने से व अन्य दीगर व्यक्तियों को रहन, बय करने से स्वयं, घरवालों, नौकरों, एजेन्टो से दवामि तौर पर बाज व मुमतन्हा रहें। मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

वादीगण वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण जर्ये रजिस्टर्ड नोटिस विधिवत की गई। प्रतिवादीगण बावजूद जर्ये रजिस्टर्ड नोटिस तामील उपस्थित नहीं आने पर प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। वादीगण वकील ने वाद को प्राथमिक डिकी किये जाने बाबत निवेदन किया। हमने वादीगण वकील को सुना। वादपत्र एवं संलग्न दरतावेजात राजस्व जमाबन्दी संवत 2075-78 ग्राम-आशापुरा खाता सं. नया 22 पुराना 20 का अवलोकन किया। वादग्रस्त भूमि राजस्व रिकार्ड में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि दर्ज है। प्रत्येक सहखातेदार को खातेदारी भूमि का विधिवत तकास्मा करवाने का आर.टी. एक्ट 1955 के तहत अधिकारात प्राप्त होने से वादीगण वाद तकास्मा स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिकी किया गया। तथा तहसीलदार बॉदीकुई को वादग्रस्त भूमि खाता सं. नया 22 पुराना 20 के खसरा नं. 1 रकबा 0.08 हैक्टे., खसरा नं. 10 रकबा 0.38 हैक्टे., खसरा नं. 11 रकबा 0.39 हैक्टे., खसरा नं. 13 रकबा 0.30 हैक्टे., खसरा नं. 14 रकबा 0.10 हैक्टे., खसरा नं. 15 रकबा 0.28 हैक्टे., खसरा नं. 16 रकबा 0.34 हैक्टे., खसरा नं. 17 रकबा 0.01 हैक्टे., खसरा नं. 18 रकबा 0.01 हैक्टे., खसरा नं. 19 रकबा 0.01 हैक्टे., खसरा नं. 20 रकबा 0.05 हैक्टे., खसरा नं. 21 रकबा 0.29 हैक्टे., खसरा नं. 23 रकबा 0.38 हैक्टे., खसरा नं. 24 रकबा 0.27 हैक्टे., खसरा नं. 3 रकबा 0.02 हैक्टे., खसरा नं. 35 रकबा 0.20 हैक्टे., खसरा नं. 5 रकबा 0.11 हैक्टे., खसरा नं. 6 रकबा 0.19 हैक्टे., खसरा नं. 7 रकबा 0.26 हैक्टे., खसरा नं. 8 रकबा 0.14 हैक्टे., खसरा नं. 9 रकबा 0.11 हैक्टे. कुल किता 21 कुल रकबा 3.92 हैक्टेयर स्थित ग्राम आशापुरा तहसील तहसील बॉदीकुई जिला दौसा का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज खातेदारान के मध्य, विधिवत उनकी उपस्थिति में, सरस-नरस, मौका व कब्जा काश्त अनुसार मकान बाडा रहवास एवं रास्ता आदि की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विधिवत पक्षकारान की मौजूदगी में मौका विभाजन कर कुरैजात प्रस्ताव बरंग सुर्ख नक्शा ट्रेस दो प्रतियों में तैयार कर न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। तहसीलदार (भू.अ.) बॉदीकुई के पत्र क्रमांक: 2480 दिनांक: 27.05.2024 द्वारा कुरैजात प्रस्ताव प्राप्त होकर शामिल पत्रावली किये गये। तहसीलदार बॉदीकुई से प्राप्त कुरैजात का वादीगण वकील द्वारा अवलोकन किया गया एवं प्राप्त कुरैजात अनुसार वाद को अंतिम डिकी किये जाने बाबत निवेदन किया तथा सहमति प्रकट की। हमने प्राप्त कुरैजात का अवलोकन किया। प्राप्त कुरैजात तहसीलदार बॉदीकुई द्वारा पक्षकारों को विधिवत सूचित कर मौके पर बरुये राजस्व रिकार्ड के बनाया जाना प्रकट होने से प्राप्त कुरैजात स्वीकार किये जाकर वादीगण वाद को अंतिम डिकी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादीगण वाद दावा तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर प्राप्त कुरैजात अनुसार निम्न अनुसार अंतिम डिकी किया जाता है-


उपखण्ड अधिकारी
बादीकुई